प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 5777 / 1998

याचिकाकर्ता लाफार्ज इंडिया लिमिटेड,

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

आदेश हेतु विचारणार्थ

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एन. चंद्राकर

मैं सहमत हूँ।

सही/-

आर. एन. चंद्राकर

न्यायमूर्ति

आदेश हेतु दिनांक 03-1-2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

न्यायमूर्ति

03/1/2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एन. चंद्राकर

रिट याचिका क्रमांक 5777 / 1998

याचिकाकर्ता	**:**	लाफार्ज इंडिया लिमिटेड (कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय डीबीएस कॉर्पोरेट क्लब, रहेजा चेंबर्स 213, नरीमन पॉइंट, मुंबई में है। औद्योगिक इकाई पता- सोनाडीह, डाकघर रसेडा वाया बलौदा बाजार, रायपुर 493332 मध्य प्रदेश। द्वारा प्रभारी अधिकारी श्री एच.एस. राउत्रे, उम्र लगभग 33 वर्ष, आत्मज एम.के. राउत्रे, निवासी सीमेंट कॉलोनी, ग्राम सोनाडीह, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर (मध्य प्रदेश)
	विरुद्ध	
उत्तरवादीगण	**1.**	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर, (छ.ग.)
	2.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.)
	3.	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सिंचाई विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
	4.	मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी बेसिन तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

श्री भास्कर पयासी, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता।

श्री वाय.एस. ठाकुर, उप-महाधिवक्ता वास्ते राज्य।

आदेश

(दिनांक 03 जनवरी, 2011 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा न्यायालय का यह आदेश पारित किया गया।

याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका संस्थित कर निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना किया है:

(i) माननीय उच्च न्यायालय उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी कर अधिसूचना दिनांक 29.4.98 (अनुलग्नक पी-15), और अधिसूचना दिनांक 6.5.98 (अनुलग्नक पी-16) और आदेश दिनांक 1.6.98 (अनुलग्नक पी-19) को अवैध तथा विधि विरुद्ध होने की घोषणा करने की कृपा करें।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी कर अधिसूचना (अनुलग्नक पी-15 और पी-16) और आदेश (अनुलग्नक पी-19) को अवैध तथा विधि विरुद्ध होने के आधार पर अभिखंडित करने की कृपा करें।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय यह घोषित करने कि कृपा करें कि याचिकाकर्ता कंपनी, जल संसाधन विभाग को जल पर उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल पर उपकर का भुगतान कर रहा है।

(iv) (क) माननीय न्यायालय इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण स्वरूप रिट या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश के द्वारा दिनांक 17.10.2000 (अनुलग्नक पी-24) की आलोच्य मांग सूचना को मनमाना और अवैध होने के आधार पर निरस्त करने की कृपा करें।

(v) (ख) यह कि, माननीय न्यायालय नियम 71-ए को अवैध, छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 की धारा 91 और 93 के अधिकारातीत होने तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 246 एवं 265 के अधिकारातीत होने के आधार पर असंवैधानिक होने की घोषणा करने तथा तद्द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.08.2000 (पी-26) को अभिखंडित करने की कृपा करें।

(vi) अन्य कोई आदेश या निर्देश जो प्रकरण की तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझा जाए भी पारित करने की कृपा करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता का छत्तीसगढ़ राज्य में एक सीमेंट निर्माण इकाई है। यह संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में "टीआईएससीओ") द्वारा स्थापित किया गया था। टीआईएससीओ द्वारा वर्ष 1986 में तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के जल संसाधन विभाग से अनुमति हेतु आवेदन किया गया था जिसे राज्य सरकार ने दिनांक 2 सितंबर, 1998 को स्वीकार करते हुए प्रतिदिन 2 क्यूसेक पानी लेने की अनुमति प्रदान की थी। टीआईएससीओ ने इस संबंध में एक अनुबंध निष्पादित करने हेतु राज्य सरकार से संपर्क भी किया था। हालांकि, अनुबंध निष्पादित करने पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संसाधन से पानी लेने पर शुल्क निर्धारित करने का कोई नियम या अन्य प्रावधान नहीं था। वह दिनांक 1 अप्रैल, 1993 से नदी से पानी निकालना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि राज्य सरकार आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसके साथ अनुबंध निष्पादित करेगा। टीआईएससीओ ने मापने के लिए मीटर, जल पंपिंग उपकरण, उपचार संयंत्र, भंडारकरण टैंक, पाइपलाइन आदि को अपने स्वयं के खर्च पर लगवा लिया।

3. दिनांक 29 अप्रैल, 1998 को राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 37 और धारा 40 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों से उद्योगों को जल की आपूर्ति सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति हेतु जल शुल्क निर्धारित किया। प्राकृतिक/स्वयं निर्मित संसाधनों से जल आपूर्ति के लिए जल दर अनुलग्नक पी/15 के अनुसार 0.30 रुपये प्रति घन मीटर निर्धारित किया गया। तत्पश्चात, राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने अधिसूचना दिनांक 6 मई, 1998 को राजपत्र में, अधिनियम की धारा 92 और 93 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुलग्नक पी/16 के अनुसार, निजी/शासकीय संगठनों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति हेतु जल शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से नियम 71 के बाद नियम 71-ए को सम्मिलित करके मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974 में संशोधन करने का प्रस्ताव अधिसूचित किया। उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से, प्रपत्र 7-ए का प्रारूप जिसके अनुसार अनुबंध निष्पादित किया जाना था, भी प्रकाशित किया गया। अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गई।

4. राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 1 जून, 1998 के द्वारा सभी बेसिन मुख्य अभियंताओं को प्रपत्र 7-ए का अनुबंध प्रपत्र प्रसारित किया और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शासकीय/प्राकृतिक संसाधनों से अपने उद्योगों के लिए जल प्राप्त करने वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ प्रपत्र 7-ए में अनुबंध निष्पादित किया जाए तथा अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल, 1998 के अनुसार दिनांक 1 मई, 1998 से जल शुल्क वसूल किया जाए। तत्पश्चात, राज्य सरकार ने राजपत्र (अनुलग्नक पी/26) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त, 2000 के द्वारा मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974 में नियम 71-ए और प्रपत्र 7-ए को संशोधित कर दिनांक 6 जून, 1998 से भूतलक्षी प्रभाव दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. जल संसाधन विभाग, रायपुर के कार्यपालक अभियंता ने टीआईएससीओ को जल शुल्क के भुगतान हेतु 16,38,000 रुपये का एक बिल दिनांक 17 अक्टूबर, 2000 (अनुलग्नक पी/24) भेजा, जो जून 1993 से जुलाई 2000 की अवधि के लिए था। उसे अगस्त 2000 से लेकर अब तक उपयोग किए गए पानी की मात्रा के संबंध में जानकारी भी मांगी गई। टीआईएससीओ द्वारा दिनांक 2.12.1998 को रिट याचिका दायर की गई। उसके बाद, न्यायालय के आदेश दिनांक 7 दिसंबर, 2001 के द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता को टीआईएससीओ के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री भास्कर पयासी द्वारा प्रस्तुत निवेदन।

6. याचिकाकर्ता ने नियम 71-ए की संवैधानिक विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती दी है कि संविधान की अनुसूची VII की सूची II, प्रविष्टि क्रमांक 17 राज्य विधानमंडल को “जल” पर विधि बनाने का अधिकार देती है। हालाँकि, अनुसूची VII की सूची II में कर लागू करने वाली प्रविष्टियाँ, जिसमें प्रविष्टि 46 से 63 तक शामिल हैं, में जल पर कर शामिल नहीं है, जबकि अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि 66 राज्य विधानमंडल को सूची II की सभी प्रविष्टियों के विषयों पर शुल्क लगाने

का अधिकार देती है। अत:, राज्य विधानमंडल जल पर शुल्क लगाने के लिए सक्षम है, कर नहीं। चूंकि राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों से जल प्राप्त करने वाले उद्योगों को कोई सेवा प्रदान नहीं करती है इसलिए लगाया गया जल शुल्क वास्तव में एक “कर” हैं, न कि “शुल्क”, और इसी कारण यह शुल्क भारत के संविधान के अधिकारातीत है।

7. यह प्रावधान इसलिए भी अधिनियम के अधिकारातीत है क्योंकि अधिनियम प्राकृतिक संसाधनों से जल लेने पर जल शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता है। धारा 40 में प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त जल का कोई उल्लेख नहीं है। धारा 40 से पहले और बाद की अन्य धाराओं के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धारा 40 केवल नहर से प्राप्त जल आपूर्ति पर लागू होती है, न कि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त जल आपूर्ति पर। धारा 40 अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आती है, जो "नहरों से पानी की आपूर्ति और उसके लिए शुल्क" से संबंधित है। अत:, अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत "औद्योगिक, नगरीय या अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति" शब्द का प्रयोग करने में विधायिका का आशय नहरों से जल आपूर्ति से संबंधित है, न कि प्राकृतिक संसाधनों से। इसलिए, नियम में किया गया आलोच्य संशोधन नियम बनाने के क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि धारा 40 शुल्क निर्धारण की शक्ति प्रत्यायोजित नहीं करती है और यह केवल नियमों के अनुसार शुल्क निर्धारण की अनुमति देती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उत्तरवादीगण द्वारा की गई कार्रवाई को इस आधार पर भी चुनौती दिया गया है कि याचिकाकर्ता प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए उपकर का भुगतान कर रहा है और उसी प्रयोजन के लिए दोबारा कर लेना दोहरा कराधान है। नियम को दिनांक 6 जून, 1998 से भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि राज्य उस अवधि के लिए जल शुल्क की मांग कर रहा है जब अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत उपयुक्त नियम बनाकर शुल्क लगाना प्रावधानित नहीं किया गया था। आदेश दिनांक 1 जून, 1998 (अनुलग्नक पी/19) भी इसी कारण गलत है। मांग पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2000 (अनुलग्नक पी/24) नियम 71-ए के भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू पर आधारित है और यह जल शुल्क के भुगतान में देरी होने पर जुर्माना लागू करता है और जैसा कि पहले बताया गया है उसी कारणवश, यह भी अवैध है।

राज्य की ओर से उप-महाधिवक्ता श्री यशवंत सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत निवेदन।

9. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भुगतान किया गया जल उपकर को जल उपकर अधिनियम, 1977 के अंतर्गत लगाया जाता है, जबकि जल शुल्क अधिनियम के अंतर्गत वसूल किया जाता है। दोनों कर दो अलग-अलग अधिनियमों के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों के लिए लगाए गए हैं और इन्हें दोहरा कराधान नहीं कहा जा सकता है। अधिनियम की धारा 26 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि किसी भी नदी, प्राकृतिक धारा या प्राकृतिक जल निकासी जलसरणी, प्राकृतिक झील या पानी के अन्य प्राकृतिक संग्रहण के जल में सभी अधिकार सरकार में निहित होंगे। इसी प्रकार, संविधान का अनुच्छेद 39ख भी यह प्रावधान करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व

और नियंत्रण इस प्रकार दिया जाए जिससे सामान्य हित की सर्वोत्तम बढ़ावा दे सके। यह अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान की अनुसूची VII की सूची II, प्रविष्टि 17 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की धारा 40 औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति का प्रावधान करती है और इसके लिए शुल्क राज्य सरकार और संबंधित कंपनी द्वारा आपसी सहमति से अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार तय किया जाना है। नियम 92 के उप-नियम (6) में प्रावधानित है कि अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकता है। नियम 93 (ग) राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सामान्य रूप से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

10. अनुलग्नक पी/6 का अवलंबन करते हुए यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने शिवनाथ नदी से पानी निकालने की अनुमति के लिए आवेदन किया था और सरकार द्वारा इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि पानी निकालने से पहले कंपनी को जल संसाधन विभाग के साथ एक अनुबंध निष्पादित करना होगा और वह सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर जल शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी और नदी से निकाले गए पानी को मापने के लिए आवश्यक मापन उपकरण लगाएगा। इसके बाद, अनुमति दी गई, और कंपनी ने शिवनाथ नदी से पानी लेना शुरू कर दिया, और इस प्रकार, कंपनी ने अपने आचरण से शर्तों को स्वीकार कर लिया था, इसलिए अब कंपनी नियमों के अनुसार निर्धारित जल शुल्क को चुनौती नहीं दे सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संशोधित नियम 71-ए के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि संशोधन विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल शुल्क निर्धारित करता है और यह राज्य और जल उपयोगकर्ता के बीच अनुबंध प्रावधानित करता है, इस प्रकार, जल का उपयोग और उसके लिए शुल्क अनुबंध द्वारा निर्धारित किया जाना है।

11. अंत में यह तर्क दिया गया कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इसके उपयोगकर्ताओं के बीच इसका वितरण सुनिश्चित करें। अन्य उपयोगकर्ताओं की जरूरतों की अनदेखी करते हुए व्यापारिक परियोजनाओं को निशुल्क पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

12. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया और उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया।

13. निर्विवाद रूप से, उद्योग स्थापित करते समय, याचिकाकर्ता ने वर्ष 1986 में अपने सीमेंट संयंत्र के लिए शिवनाथ नदी से पानी निकालने की अनुमति के लिए आवेदन दिनांक 29 मार्च, 1986 (अनुलग्नक पी/1) के द्वारा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को आवेदन किया था। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 2 क्यूसेक प्रतिदिन की दर से पानी निकालने हेतु अपनी अनापत्ति दी थी। याचिकाकर्ता ने अधिनियम के अनुसार उपयुक्त मापन

उपकरण लगवाए और उक्त संबंध में विभाग के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया। तदनुसार, राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने पत्र दिनांक 2 सितंबर, 1988 (अनुलग्नक पी/6) के माध्यम से इस शर्त पर अनुमति दी कि नदी से जल निकालने से पहले, कंपनी को राज्य के साथ एक अनुबंध निष्पादित करना होगा, कंपनी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी और अपने खर्च पर, अपने द्वारा निकाले गए जल को मापने के लिए उपकरण लगवाएगा। याचिकाकर्ता ने ज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल, 1993 (अनुलग्नक पी/10) के द्वारा मुख्य अभियंता (सिंचाई) को सूचित किया कि उन्हें पत्र में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अनुलग्नक पी/6 के अनुसार वर्ष 1988 में पानी निकालने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पत्र में उल्लिखित आवश्यक उपकरण पहले ही लगा लिए हैं, सिवाय अनुबंध के, जो इस उद्देश्य के लिए निष्पादित करना बाकी है, और उनकी अनुमोदन की प्रत्याशा में, वह शिवनाथ नदी से 2 क्यूसेक पानी निकालने के लिए अपने पंप हाउस को चालू कर रहे हैं। अतः, याचिकाकर्ता के आचरण से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी/6 की शर्तों को स्वीकार कर लिया और इस उम्मीद में वर्ष 1993 से पानी निकालना शुरू कर दिया कि अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद उसे औपचारिक अनुमोदन दे दी जाएगी।

14. यह अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान की अनुसूची VII की सूची II, प्रविष्टि 17 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की धारा 26 सरकार के जल संबंधी अधिकारों से संबंधित है, जिसे नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "26. **जल के संबंध में सरकार के अधिकार**- किसी भी नदी, प्राकृतिक धारा या प्राकृतिक जल निकासी जलसरणी, प्राकृतिक झील या पानी के अन्य प्राकृतिक संग्रहण के जल में सभी अधिकार सरकार में निहित होंगे, सिवाय उस सीमा तक जहां तक धारा 27 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना से प्रभावित जल में ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व अधिकार प्राप्त किए गए हों।"

अधिनियम का अध्याय V नहरों से जल की आपूर्ति और उसके लिए शुल्क से संबंधित है। धारा 37 उन प्रयोजनों का प्रावधान करती है जिनके लिए जल की आपूर्ति की जा सकती है, जबकि धारा 40 औद्योगिक, नगरीय या अन्य प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति से संबंधित है। उपरोक्त दोनों प्रावधान नीचे प्रत्युत्पादित हैं:

> "37. **प्रयोजन जिनके लिए जल की आपूर्ति की जा सकती-**
>
> (1) पानी की आपूर्ति नहर से की जा सकती है-
>
> (क) सिंचाई अनुबंध के अंतर्गत; अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार,
>
> (ख) मांग के अनुसार, निर्दिष्ट क्षेत्रों की सिंचाई के लिए;
>
> (ग) गांव के तालाब की पूर्ति के लिए;

(घ) कृषि से असंबंधित औद्योगिक, नगरीय या अन्य

प्रयोजनों के लिए;

(ङ) अनिवार्य रूप से मूल्यांकित क्षेत्र की सिंचाई के लिए।

(2) उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (ङ) के अंतर्गत जल आपूर्ति के लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित दरों पर देय होंगे।"

"40. **औद्योगिक, नगरीय या अन्य प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति-**

कृषि से असंबंधित औद्योगिक, नगरीय या अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति की शर्तें और इसके लिए शुल्क, राज्य सरकार और संबंधित कंपनी, फर्म, निजी व्यक्ति या स्थानीय निकाय के बीच सहमति के अनुसार और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित किए जाएंगे।"

15. धारा 37 की उपधारा (2) में विशेष रूप से प्रावधानित है कि जल आपूर्ति के लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित दरों पर देय होगा, सिवाय धारा 37(1)(घ) के अंतर्गत शुल्क के, अर्थात् औद्योगिक, नगरीय या अन्य प्रयोजनों के लिए जो कृषि से संबंधित नहीं हैं। जबकि धारा 40 में यह प्रावधानित है कि कृषि से असंबंधित औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति के शुल्क राज्य सरकार और संबंधित कंपनी, फर्म, निजी व्यक्ति या स्थानीय निकाय के बीच सहमति के अनुसार होंगे और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। धारा 40 में कहीं भी नहरों से औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति का प्रावधान नहीं है। जबकि धारा 37 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि नहर से पानी विभिन्न प्रयोजनों के लिए आपूर्ति किया जा सकता है, जिसमें औद्योगिक, नगरीय या कृषि से असंबंधित अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में हमें कोई सार नहीं मिलता कि राज्य विधानमंडल को जल पर कर लगाने का अधिकार नहीं है क्योंकि अनुसूची VII की सूची II में प्रविष्टियों 46 से 63 तक कर लगाने वाली प्रविष्टियों में जल पर कर शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 246 सह-पठित अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि 17 राज्य विधानमंडल को सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन जल से संबंधित विधि बनाने का अनन्य शक्तियां प्रदान करती है, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल विद्युत।

17. संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 39ख, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य ऐसी नीतिगत सिद्धांतों का पालन करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए

जिससे सामान्य हित को सर्वोत्तम बढ़ावा दे। अधिनियम का अध्याय III जल संबंधी अधिकारों से संबंधित है, जबकि धारा 26 में यह प्रावधान है कि किसी नदी, प्राकृतिक धारा या प्राकृतिक जल निकासी जलसरणी, प्राकृतिक झील या जल के अन्य प्राकृतिक संग्रहण के जल में सभी अधिकार सरकार में निहित होंगे। अधिनियम की धारा 40 में औद्योगिक, नगरीय या अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार, कृषि से असंबंधित उपरोक्त प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति की शर्तें और उसके लिए शुल्क राज्य सरकार और ऐसे लाभार्थी के बीच इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार तय किया जाना है। विधानमंडल ने जानबूझकर उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति हेतु "नहर" शब्द को छोड़ा है, जबकि धारा 37 उन प्रयोजनों से संबंधित है जिनके लिए नहर से जल की आपूर्ति की जा सकती है। धारा 37(घ) के अंतर्गत राज्य सरकार को औद्योगिक, नगरीय और कृषि से संबंधित नहीं अन्य प्रयोजनों के लिए नहर से पानी की आपूर्ति करने का भी अधिकार है।

अधिनियम की धारा 37 और 40 को साथ में पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जहां धारा 37(घ) नहर के माध्यम से औद्योगिक, नगरीय या कृषि से असंबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति से संबंधित है, वहीं धारा 40 राज्य सरकार को औद्योगिक, नगरीय या कृषि से असंबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति करने का अधिकार देती है और साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सहमत और निर्धारित शुल्क वसूलने का भी अधिकार देती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 40, 92 और 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 92 की उपधारा (3) में निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करने के बाद, अर्थात अनुलग्नक पी/16 के प्रस्ताव के प्रकाशन के बाद, मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974 में संशोधन किया है, जो अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार की क्षमता के अधीन है।

19. निर्विवादित रूप से, राज्य सरकार को किसी भी नदी, प्राकृतिक धारा, प्राकृतिक जल निकासी जलसरणी, प्राकृतिक झील या पानी के अन्य प्राकृतिक संग्रह के जल पर पूर्ण अधिकार है, और अधिनियम की धारा 40 राज्य सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उपरोक्त प्रयोजनों के लिए जल शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देती है। यह भी स्पष्ट है कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित जल शुल्क की वसूली उपभोक्ता द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रपत्र 7-ए में अनुबंध निष्पादित करने के बाद ही की जा सकती है। अतः, जब उपभोक्ता किसी प्राकृतिक संसाधन से जल प्राप्त करना चाहता है, तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी और नियमों के अनुसार उपर्युक्त प्रयोजन के लिए प्रपत्र 7-ए में एक अनुबंध निष्पादित करने के बाद ही वह किसी प्राकृतिक संसाधन से जल प्राप्त कर सकता है।

20. जैसा कि उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित है, याचिकाकर्ता ने शिवनाथ नदी से जल निकालने की अनुमति के लिए आवेदन किया था और वह अनुबंध निष्पादित करने के लिए रजामंद एवं तत्पर था। यह अनुमति दिनांक 2 सितंबर, 1988 के अनुलग्नक पी/6 के द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पानी निकालने से पहले सिंचाई विभाग के साथ एक अनुबंध

निष्पादित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल शुल्क देय होगा। याचिकाकर्ता ने दिनांक 1 अप्रैल, 1993 के अनुलग्नक पी/10 के द्वारा उपरोक्त शर्तों की स्वीकृति व्यक्त की थी और राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में पानी लेना शुरू कर दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि वे इस संबंध में सूचित की गई अन्य औपचारिकताओं को पूरा करेंगे।

21. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, हमें वर्तमान रिट याचिका में कोई सार नहीं पते हैं, जिसके द्वारा सिंचाई नियम, 1974 में संशोधन की संवैधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी गई है, और हम नियम 71-ए का अंतःस्थापित, नियमों के अंतर्गत प्रारूप 7-ए का समावेश, जिसमें राज्य सरकार और कृषि प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक संसाधनों से जल का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता के बीच एक अनुबंध किया जाना है, को वैध मानते हैं, और इसके अनुसरण में जल शुल्क की मांग के लिए नोटिस को विधि के अनुसार मानते हैं।

22. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका को सारहीन होने पर खारिज किया जाता है।

व्यय हेतु कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

सही/-

आर. एन. चंद्राकर

न्यायमूर्ति

03.1.2011

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka